अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी

4.1 निष्फल व्यय

कला प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सृजित दिल्ली रिज पर स्थित रबिंद्र रंगशाला को अप्रैल 1993 में संगीत नाटक अकादमी को सुपुर्द किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (मई 1996) में, दिल्ली रिज, जहाँ रंगशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। अकादमी ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़ का व्यय किया जबकि यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था।

रबिन्द्र नाथ टैगोर शताब्दी समिति ने कल्पना की तथा 1960 के दशक शुरू में एक बड़े ओपन एयर थियेटर अर्थात् रबिन्द्र रगंशाला की स्थापना की। थियेटर दिल्ली रिज पर स्थित था जिसमें 37 एकड़ भूमि शामिल थी तथा इसका संगीत, नाट्य एवं नृत्य हेतु उपयोग किया जाता था। संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, रबिन्द्र रंगशाला परिसर को अप्रैल 1993 में उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी (सं.ना.अ.) को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया था।

सं.ना.अ. ने रगंशाला में अपने स्वयं के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया था परंतु वह विभिन्न सरकारी अभिकरणों/निजी संगठनो को उनके कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु मंच तथा सभा भवन को किराए पर दे रही थी। अंतिम कार्यक्रम का पहले से पहले 1993-94 में आयोजन किया गया था तथा इसके पश्चात रंगशाला में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। मई 1996, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिल्ली रिज, जहाँ रगंशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था।

सं.ना.अ. ने रगंशाला को फिर से सक्रिय बनाने हेतु संस्कृति विभाग को एक कार्य योजना, जो इसके शासी निकाय द्वारा उचित रूप से स्वीकृत थी, का प्रस्ताव किया। सांस्कृति विभाग ने सं.ना.अ. को रिज प्रबंधन बोर्ड से अनुमति की मांग करने की सलाह दी (जनवरी 2002)। कार्यक्रमों का कालानुक्रम जिसका बाद में आयोजन किया गया, को **अनुबंध-VII** में तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

रंगशाला उपयोग न किए गए के मामले को लेखापरीक्षा द्वारा 2003 के निरीक्षण प्रतिवेदन में उजागर किया गया था। इसके अतिरिक्त, सं.ना.अ. द्वारा रगंशाला को उस उद्देश्य हेतु, जिसके लिए इसको स्थापित किया गया था, उपयोग में लाने के लिए प्रारम्भ किए गए प्रयास अपर्याप्त तथा निष्फल थे। मंत्रालय ने अपनी ओर से परिसर को लाभदायक रूप से उपयोग करने हेतु अथवा सदा के लिए बंद करने हेतु सक्रिय दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। इसी बीच, सं.ना.अ. ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़[1] का व्यय किया। रंगशाला में नियुक्त स्टाफ के कार्य मुख्यत: प्रशासनिक कार्य जैसे कि बजट/वार्षिक लेखाओं को तैयार करना, वेतन बिल पंजिका का अनुरक्षण, आयकर रिटर्न का प्रस्तुतीकरण, के.सि.स्क., अ.भा.रे. के साथ पत्राचार आदि के आस पास घूमते थे।

इस प्रकार, रगंशाला के उपयोग न किया जाना अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसके सदा के लिए बंद करने के मामले को 20 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी सुलझाया नहीं गया था।

सं.ना.अ. ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि सं.ना.अ. मामले में कभी भी एक पक्ष नहीं था और न ही इसका सम्पत्ति पर स्वामित्व था। उसने आगे

[1] सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु केन्द्रीय सिविल स्कंध (अ.भा.रे.) को ₹2.55 करोड़ तथा रंगशाला पर नियुक्त अपने स्टाफ के वेतन एवं भत्ते के प्रति ₹1.15 करोड़ अदा किए।

बताया कि सं.ना.अ. केवल मामले में आवश्यक दिशानिर्देश हेतु सां.में. के साथ अनुसरण कर सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सं.ना.अ. 20 वर्षों से अधिक तक मामले को सुलझाने हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा तथा उसने प्रशासनिक एवं अनुरक्षण व्यय करना जारी रखा।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

4.2 अनुत्पादक व्यय तथा निधियों का अवरोधन

संस्कृति मंत्रालय ने अतिक्रमण को हटाए जाने को सुनिश्चित किए बिना पार्क के रूप में भूमि के विकास की एक परियोजना प्रारंभ की जो बीच में कार्य की समाप्ति का कारण बनी। परियोजना को अंत में हटा दिया गया था जिसका परिणाम ₹35 लाख के अनुत्पादक व्यय तथा ₹1.02 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी उत्सव के भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने निर्णय लिया (दिसंबर 2003) कि नई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला किले से सटी एक्सप्रैस बिल्डिंग के पीछे के क्षेत्र को हाल में विकसित जे.पी. पार्क तथा विद्यमान शहीदी पार्क की निरंतरता में पार्क के रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित था। विकसित किए जाने वाला क्षेत्र पांच एकड़ था तथा भूमि को भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हस्तांतरित किया गया था।

मंत्रालय ने भूमि के विकास हेतु जमा के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को ₹1.25 करोड़ (दिसबंर 2003) की राशि जारी की। के.लो.नि.वि. ने फरवरी 2004 में परियोजना हेतु ₹2.82 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमानों को प्रस्तुत करते समय यह भी सूचित किया कि कार्य को केवल अतिक्रमण को हटाए जाने तथा उनको स्पष्ट भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात

ही प्रारम्भ किया जा सकेगा। अनुमान में अतिक्रमण को हटाने के प्रति ₹1.02 करोड़ का व्यय शामिल था। तदनुसार, मंत्रालय ने अतिक्रमण को हटाने के लिए सीधे दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि) को मार्च 2004 में ₹1.02 करोड़ की निधि जारी की।

जबकि भूमि के विकास से संबंधित कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था, फिर भी सांसद के इस आग्रह पर कि क्षेत्र में कार्य को रोका जाए तथा एक पुरानी पहुंच सड़क, जिसे पार्क का भाग बनने के लिए प्रस्तावित किया गया था, को लोगो के उपयोग हेतु फिर चालू किया जाए, के.लो.नि.वि. ने जून 2004 मे मामला मंत्रालय को सूचित किया तथा कार्य को रोक दिया गया था। मंत्रालय ने, मार्च तथा जून 2005 में, सांसद से मामले पर चर्चा करने तथा सुलझाने की सिफारिश की परंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद से मामले मे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.लो.नि.वि. कार्य[2] पर इसे रोके जाने से पूर्व ₹35.30 लाख का व्यय पहले ही कर चुका था तथा शेष राशि अभी भी उसके पास पड़ी थी। जून 2004 तथा जनवरी 2006 के बीच, के.लो.नि.वि. ने कार्य की निरंतरता के संबंध में निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को बार-बार अनुरोध किया था। चूंकि मंत्रालय से कोई उत्तर उपलब्ध नहीं था इसलिए के.लो.नि.वि. ने 2007 से जून 2011 तक मंत्रालय को ₹89.70 लाख की अव्ययित राशि को वापस करने का प्रस्ताव किया।

मंत्रालय ने ₹35.30 लाख के व्यय के भीतर प्रारम्भ कार्य के ब्यौरो की मांग करके तथा इस पर अभिपुष्टि की मांग करते हुए कि क्या पूर्ण कार्य को के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार समाप्त किया गया था,

---

[2] जे.पी. पार्क तथा शहीदी पार्क के साथ पार्किंग निरंतरता के रूप में एक्सप्रैस बिल्डिंग के पीछे भूमि का विकास, फिरोजशाह कोटला किले के सामने प्रवेश द्वार रेलिंग आदि प्रदान कराना, पहुंच सड़क प्रदान करना, बस क्यू शैल्टर को शिफ्ट करना, फुटपाथ फव्वारा, फुहारा सिस्टम, घेरा दीवार, द्वार रेलिंग आदि प्रदान करना।

नवम्बर 2011 में प्रतिक्रिया दर्शायी। के.लो.नि.वि. ने दिसंबर 2011 मे किए गए कार्य के विवरण प्रस्तुत किए। मंत्रालय ने फिर से मामले को संसाधित करना प्रारम्भ किया तथा परिणामस्वरूप, जून 2012 में के.लो.नि.वि. द्वारा ₹89.70 लाख की अव्ययित राशि को वापस किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि परियोजना का खराब प्रबंधन तथा न तो निर्णय लेने और न ही के.लो.नि.वि. के पास पड़े अव्ययित शेष को वापसी का दावा करने में मंत्रालय का निरुत्साही दृष्टिकोण छः वर्षों तक निधियों के अवरोधन का कारण बना। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय के अभिलेख यह नहीं दर्शाते थे कि इसने दि.न.नि. को जारी ₹1.02 करोड़ की निधियों के उपयोग की स्थिति का पता लगाने हेतु कभी प्रयास किया था और न ही इसकी वापसी की मांग की थी।

इसलिए, मंत्रालय द्वारा समर्थित तथा उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई का अभाव ₹35 लाख के अनुत्पादक व्यय तथा दि.न.नि के पास ₹1.02 करोड़ की लोक निधियों के अवरोधन का कारण बनी जबकि परियोजना के उद्देश्य पूरे हुए बिना रहे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2015) कि पिछले कक्ष, जो मामले को संभाल रहा था, को अगस्त/सितंबर 2004 मे समाप्त कर दिया गया था तथा सभी अभिलेखों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। नए विशेष कक्ष ने दिसबंर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ किया। चूंकि नए बनाए गए कक्ष का स्टाफ नया था तथा लंबित मामलों से अवगत नहीं था तथा 2005-11 के दौरान के.लो.नि.वि. से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं किया गया था इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। मंत्रालय ने, दि.न.नि. को अदा किए ₹1.02 करोड़ की राशि के संबंध में भी बताया कि दि.न.नि. ने मंत्रालय को कभी भी सूचित नहीं किया था कि उनको जारी की गई राशि अप्रयुक्त रही। बाद में संबंधित अभिलेखों को के.जा.ब्यू. द्वारा अन्य मामले के संबंध में भी ले

जाया गया था। इस प्रकार, पूर्ण अभिलेख अनुमार्गणीय नहीं थे तथा मामले का अनुसरण किए जा रहा था।

उत्तर मंत्रालय में अभिलेखों की सुपुर्दगी तथा उनको अधिकार मे लेने की मानक प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति को स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, लोक निधियों के प्रभावी तथा सामयिक उपयोग की निगरानी करने का भार निधि जारी करने वाला अभिकरण होने से, मंत्रालय पर था जिसे पूरा करने में वह विफल था। तथ्य यह रहा कि मंत्रालय द्वारा लोक निधियों का निरुत्साही प्रकार से प्रबंधन किया गया था।